

समावेशी शिक्षा में शिक्षक की भूमिका

डॉ० राजकुमार यादव

एसोसिएट प्रोफेसर, शिक्षा-संकाय, राजा श्रीकृष्णदत्त स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जौनपुर (उ०प्र०)

Author Email: rkyadavbrd@gmail.com

सारांश—समावेशी शिक्षा का उद्देश्य सभी छात्रों, चाहे उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भावनात्मक या अन्य विशेषताएँ कुछ भी हों, को एक साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। इसमें शिक्षक की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वही कक्षा में विविध आवश्यकताओं वाले छात्रों के बीच समानता और सीखने का वातावरण बनाता है। यह शोध पत्र समावेशी शिक्षा में शिक्षक के कर्तव्यों, चुनौतियों और उनके समाधान पर प्रकाश डालता है।

मुख्य शब्द—समावेशी शिक्षा, शिक्षा में समानता, दिव्यांग शिक्षा, मुख्यधारा की शिक्षा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, विकलांगों के लिए शिक्षा, सामाजिक समरसता, शिक्षक प्रशिक्षण

I. प्रस्तावना

शिक्षा हर व्यक्ति का मूल अधिकार है। समावेशी शिक्षा एक ऐसी अवधारणा है जिसमें सभी बच्चों को, चाहे वे सामान्य हों या विशेष आवश्यकताओं वाले, एक साथ समान अवसरों के साथ अध्ययन करने का अवसर दिया जाता है। इस शोध का उद्देश्य समावेशी शिक्षा की वर्तमान स्थिति, चुनौतियाँ और उसके प्रभावों का मूल्यांकन करना है।

समावेशी शिक्षा (Inclusive Education) शिक्षा प्रणाली का वह मॉडल है जिसमें सभी बच्चों, जिनमें विकलांग, सीखने की अक्षमता, सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि या अन्य विविधताएँ शामिल हैं, को एक ही कक्षा में शिक्षा दी जाती है। इस प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका केंद्रीय होती है, क्योंकि उन्हें प्रत्येक छात्र की आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षण विधियाँ अपनानी होती हैं।

शिक्षा मानव जीवन का आधार है। यह व्यक्ति को आत्मनिर्भर, जागरूक, सुसंस्कृत और जिम्मेदार नागरिक बनने में सहायता करती है। लेकिन जब शिक्षा केवल कुछ वर्गों तक सीमित रह जाती है और समाज के अन्य वर्ग इससे वंचित रह जाते हैं, तो न केवल सामाजिक असमानता बढ़ती है, बल्कि राष्ट्र की प्रगति भी अवरुद्ध हो जाती है। इसी असमानता को समाप्त करने और सभी को समान अवसर देने के उद्देश्य से "समावेशी शिक्षा" की संकल्पना अस्तित्व में आई।

II. उद्देश्य

- समावेशी शिक्षा को प्रोत्साहित करने के सुझाव एवं प्रयास।
- समावेशी शिक्षा के लिए किए गये प्रावधानों का अध्ययन करना।

समावेशी शिक्षा का अर्थ

समावेशी शिक्षा का तात्पर्य है—ऐसी शिक्षा प्रणाली जिसमें सभी बच्चों, चाहे वे किसी भी सामाजिक, आर्थिक, जातीय, भाषाई या शारीरिक-पारंपरिक भिन्नता से संबंध रखते हों, को एक ही सामान्य विद्यालय में समान अवसरों के साथ शिक्षा प्रदान की जाए। इसमें विशेष रूप से दिव्यांग बच्चों (विकलांग, दृष्टिहीन, मूक-बधिर आदि) को भी समान रूप से मुख्यधारा की शिक्षा में शामिल करने पर बल दिया जाता है।

III. समावेशी शिक्षा की आवश्यकता

भारत जैसे विविधताओं से भरे देश में जहां जाति, धर्म, भाषा, संस्कृति, लिंग और शारीरिक अक्षमताओं के आधार पर समाज में अनेक प्रकार की असमानताएँ मौजूद हैं, वहां समावेशी शिक्षा आवश्यक हो जाती है। इसके कुछ प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं:—

- **समान अवसर की प्राप्ति**—सभी छात्रों को बिना किसी भेदभाव के समान शैक्षिक अवसर मिलें।
- **सामाजिक समरसता**—एक साथ अध्ययन करने से छात्रों में सहिष्णुता, सहयोग और सद्भाव की भावना उत्पन्न होती है।
- **भेदभाव की समाप्ति**—विकलांग या पिछड़े वर्गों के प्रति जो सामाजिक भेदभाव होता है, वह धीरे-धीरे खत्म होता है।

- संविधान की भावना के अनुरूप—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21—। के अनुसार 6—14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त है, जो समावेशी शिक्षा की भावना से मेल खाता है।

IV. समावेशी शिक्षा की विशेषताएँ

- सर्वसमावेशी वातावरण—समावेशी शिक्षा में छात्रों को उनकी क्षमताओं और जरूरतों के अनुसार उपयुक्त परिवेश दिया जाता है।
- शिक्षकों की भूमिका—शिक्षक केवल ज्ञान देने वाले नहीं, बल्कि मार्गदर्शक, सहायक और प्रेरक की भूमिका निभाते हैं।
- व्यक्तिगत आवश्यकताओं का ध्यान—प्रत्येक छात्र की अलग-अलग आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम एवं शिक्षण पद्धति को अनुकूल बनाया जाता है।
- सहयोगी शिक्षण—छात्रों के बीच सहयोग, साझेदारी और समूह कार्यों को बढ़ावा दिया जाता है।

V. समावेशी शिक्षा के लाभ

- समानता की भावना का विकास—सभी वर्गों के बच्चों को एक साथ पढ़ने का अवसर मिलने से समानता का भाव उत्पन्न होता है।
- विकलांग बच्चों में आत्मविश्वास—वे खुद को मुख्यधारा का हिस्सा मानने लगते हैं और उनका आत्मविश्वास बढ़ता है।
- सामाजिक एकता का विस्तार—विविध पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों के बीच आपसी समझ और मित्रता बढ़ती है।
- नैतिक विकास—छात्रों में करुणा, सहिष्णुता, सहानुभूति आदि मानवीय गुणों का विकास होता है।

VI. भारत में समावेशी शिक्षा की स्थिति

भारत सरकार ने समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं और कार्यक्रम आरंभ किए हैं। इनमें प्रमुख हैं—

- समग्र शिक्षा अभियान—इसमें समावेशी शिक्षा को एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में शामिल किया गया है।
- RTE अधिनियम (2009)—इसके तहत 6—14 वर्ष के सभी बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार मिला।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020—इसमें सभी छात्रों, विशेष रूप से दिव्यांगों और पिछड़े वर्गों को समावेशी शिक्षा प्रणाली में लाने का विशेष ध्यान दिया गया है।
- दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016—इस कानून के अंतर्गत दिव्यांग बच्चों को समान शिक्षा का अधिकार मिला।

VII. समावेशी शिक्षा में आने वाली चुनौतियाँ

- शिक्षकों का अभाव—प्रशिक्षित और संवेदनशील शिक्षकों की कमी एक बड़ी समस्या है।
- संसाधनों की कमी—विशेष आवश्यकताओं वाले छात्रों के लिए आवश्यक भौतिक सुविधाएं (जैसे रैम्प, विशेष शौचालय, ब्रेल सामग्री) अधिकांश स्कूलों में उपलब्ध नहीं होतीं।
- सामाजिक दृष्टिकोण—अब भी समाज में विकलांग बच्चों के प्रति सहानुभूति की जगह दया और तिरस्कार का दृष्टिकोण बना हुआ है।
- वित्तीय सीमाएँ—सरकार द्वारा योजनाएं तो बनाई जाती हैं, लेकिन उनके लिए पर्याप्त बजट का अभाव रहता है।
- अभिभावकों की मानसिकता—कई बार माता-पिता स्वयं अपने दिव्यांग बच्चों को विद्यालय भेजने में हिचकिचाते हैं।

VIII. समावेशी शिक्षा के लिए सुझाव

- शिक्षकों का विशेष प्रशिक्षण—सभी शिक्षकों को समावेशी शिक्षा के सिद्धांतों एवं तकनीकों की विशेष जानकारी दी जानी चाहिए।
- प्रेरणादायी वातावरण—स्कूलों में ऐसा माहौल होना चाहिए जो विविधता को सम्मान दे और सहयोगात्मक संस्कृति को बढ़ावा दे।
- भौतिक ढांचे का विकास—दिव्यांग छात्रों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए विद्यालयों में आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था की जाए।
- सामाजिक जागरूकता—समाज को यह समझाने की आवश्यकता है कि शिक्षा सभी का अधिकार है, चाहे व्यक्ति किसी भी स्थिति में क्यों न हो।
- समुचित निगरानी एवं मूल्यांकन—समावेशी शिक्षा कार्यक्रमों की नियमित निगरानी और मूल्यांकन होना चाहिए।

निष्कर्ष

समावेशी शिक्षा केवल एक शैक्षिक अवधारणा नहीं, बल्कि एक मानवीय और सामाजिक दृष्टिकोण है। यह समाज को न्याय, समानता और करुणा की दिशा में ले जाती है। जब सभी बच्चों को एक समान अवसर और सम्मान मिलेगा, तभी समाज में सच्ची समानता और समरसता स्थापित हो पाएगी। समावेशी शिक्षा न केवल वंचित वर्गों को मुख्यधारा में लाने का माध्यम है, बल्कि यह एक समृद्ध, संवेदनशील और उन्नत राष्ट्र की नींव है।

समावेशी शिक्षा सफल बनाने में शिक्षक की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। उन्हें न केवल शैक्षणिक कौशल बल्कि संवेदनशीलता, धैर्य और नवाचारी सोच की आवश्यकता होती है। सरकारी नीतियों, प्रशिक्षण और समुदायिक सहयोग से शिक्षक इस दिशा में प्रभावी योगदान दे सकते हैं।

सन्दर्भ सूची

1. भारत सरकार (2009), "शिक्षा का अधिकार अधिनियम", मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली।
2. भारत सरकार (2020), "राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020", शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली।
3. UNESCO (2009), **Policy Guidelines on Inclusion in Education**, Paris: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
4. NCERT (2014), "समावेशी शिक्षा का दिशा-निर्देश", राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली।
5. गुप्ता, एम. (2018), "भारतीय शिक्षा व्यवस्था में समावेशी शिक्षा की भूमिका", भारतीय शिक्षा समीक्षा, खंड 12, अंक 2, पृष्ठ 45-56।
6. यादव, आर. के. (2017), "दिव्यांग छात्रों के लिए समावेशी शिक्षा: एक विश्लेषण", समाजशास्त्र पत्रिका, खंड 15, अंक 1।
7. UNICEF India (2020), "Inclusive Education for Children with Disabilities"।
8. SSA (2015), "समावेशी शिक्षा के अंतर्गत विशेष आवश्यकता वाले बच्चों हेतु दिशा निर्देश", समग्र शिक्षा अभियान, भारत सरकार।
9. माथुर, एस. (2016), "समावेशी शिक्षा: एक सामाजिक परिप्रेक्ष्य", शिक्षा संवाद प्रकाशन, दिल्ली।